राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय–व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प. 4(85)वित्त–1(1)आय.व्य/2017 जयपुर, दिनांक : 27 अगस्त, 2018

कोषाधिकारी
उदयपुर।

स्वीकृति संख्या–278/2018–19

विषय :– वित्तीय वर्ष 2018–19 में आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के निजी निक्षेप खाते में राशि रुपये 5882.39 लाख के हस्तांतरण बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक एफ 6/लेखा/सीटीएडी/275(1)प्रस्ताव/2018–19 स्वीकृति संख्या 24/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 300.00 लाख, स्वीकृति संख्या 17/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 443.00 लाख, स्वीकृति संख्या 18/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 660.00 लाख, स्वीकृति संख्या 22/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 300.00 लाख, स्वीकृति संख्या 23/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 499.01 लाख, स्वीकृति संख्या 15/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 650.10 लाख, स्वीकृति संख्या 16/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 300.00 लाख, स्वीकृति संख्या 21/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 1380.28 लाख, स्वीकृति संख्या 25/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 200.00 लाख, स्वीकृति संख्या 26/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 200.00 लाख, स्वीकृति संख्या 27/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 100.00 लाख, स्वीकृति संख्या 28/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 200.00 लाख, स्वीकृति संख्या 19/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 200.00 लाख, स्वीकृति संख्या 20/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 200.00 लाख एवं स्वीकृति संख्या 29/2018–19 दिनांक 09.08.2018 राशि रूपये 250.00 लाख में अंकित शर्तो के अनुसार आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर के पी.डी खाते में कुल राशि रुपये 5882.39 लाख (अक्षरे रुपये अठ्ठावन करोड बियासी लाख उनतालीस हजार) मात्र की राशि निम्न बजट मद में व्यय दर्शाते हुए हस्तांतरित कर दी जावेः–

मांग संख्या–30
4225 –अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
796 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना
(11) – संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि हेतु योजनायें
[01] – आश्रम छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण
17 – वृहद निर्माण कार्य। राशि रुपये 300.00 लाख

कमरा नं. 5137, वित्त (आय–व्ययक) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर–302005
दूरभाष नं. 0141–5153222 आई.पी. नं.–24452, फैक्स नं. 0141–2227799
website : www.finance.rajasthan.gov.in, e-mail : fdbudget@rajasthan.gov.in

[05] – हैण्ड पम्प स्थापना सहित पेयजल योजना
17 – वृहद निर्माण कार्य। राशि रुपये 1103.00 लाख

[07] – सामुदायिक भवनों का निर्माण
17 – वृहद निर्माण कार्य। राशि रुपये 300.00 लाख

[10] – सडक एवं पुलिया निर्माण।
17 –वृहद निर्माण कार्य राशि रुपये 499.01 लाख

[11] – खेल छात्रावासें का निर्माण एवं नवीनीकरण
17 – वृहद निर्माण कार्य राशि रुपये 950.10 लाख

[14] – राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में अतिरिक्त कक्ष का निर्माण
17 –वृहद निर्माण कार्य राशि रुपये 1380.28 लाख

[17] – राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिरिक्त निर्माण कार्य
17 – वृहद निर्माण कार्य राशि रुपये 700.00 लाख

[19] – टी.ए.डी. के अतिरिक्त भवनों का निर्माण, विस्तार एवं नवनीकरण
17 – वृहद निर्माण कार्य राशि रुपये 400.00 लाख

[20] – धारा 275(1) के अन्तर्गत मां बाडी केन्द्रों का निर्माण, सुविधाओं का विस्तार एवं नवीनीकरण
17 –वृहद निर्माण कार्य। राशि रुपये 250.00 लाख

योग राशि रुपये 5882.39 लाख

उक्त राशि का आहरण संबंधित प्रयोजन के व्यय के लिये राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 तथा तत्संबंधी नियमों/निर्धारित मापदण्डों, योजना के दिशा–निर्देशो की पालना करते हुए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही किया जावेगा। किसी अन्य प्रयोजनार्थ राशि का आहरण किसी भी परिस्थिति में नही किया जावेगा।

भवदीय,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि :–

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक/ लेखा परीक्षा– प्रथम), राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–2) विभाग।
5. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।
6. अनुभागाधिकारी, वित्त (बजट) विभाग।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट)